



पूर्व मध्य रेल (लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश संख्या:- अराज०/17/2020

दिनांक: 24.02.2020

भाग "अ"

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त SO(A) ग्रुप में Appendix-3(IREM)-2017-18 परीक्षा उत्तीर्ण निम्नलिखित कर्मचारियों को अनंतिम रूप से वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), ग्रेड वेतन रु० 4800- (Level-8) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

Sl.No.	Name (Shri)	Desig	Catg.	Office Working	Posting on promotion under
1	Manish Kumar Singh	AA	UR	AFA/Admn/HJP	Sr. DFM/SPJ
2	Shiv Shankar Kumar	AA	UR	Sr. DFM/SEE	Sr. AFA/WS/SPJ
3	Manish Kumar	AA	UR	Sr. DFM/SEE	Sr. AFA/WS/SPJ

नोट:-

1. किसी कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में उनका लिखित आवेदन एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाए। ऐसे मामले में IREM Vol I के पैरा 224 के अनुसार उन्हें पदोन्नति हेतु अगले एक वर्ष तक वंचित माना जाएगा।
2. पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IR-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
3. उपर्युक्त पदोन्नति कार्यप्रभारित पदों एवं प्रतिनियुक्ति अथवा पूरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध है। अतः कार्यप्रभारित पदों के संचालन में कमी आने या प्रतिनियुक्ति या पूरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के पू.म.रे. में वापस आने पर रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निम्नतम वरीयता पर पदोन्नत कर्मचारी को पदावनत किया जा सकता है।
4. पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
5. पदस्थापना/कार्यमुक्त प्राधिकार से इस कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए।
6. यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।

भाग "ब"

कार्यालय आदेश संख्या: अराज./10/2020 दिनांक: 11.02.2020 के द्वारा कुल 07 कर्मचारियों का वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर पदोन्नत करते हुए विभिन्न लेखा ईकाईयों में पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे जिसमें से निम्नलिखित 04 कर्मचारियों के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से पदोन्नति स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की गई है:-

Sl.No.	Name (Shri)	Desig	Catg.	Office Working
1	Abhay Prabhakar	JAA	UR	Sr. AFA/NPS/HJP
2	Mintu Sharan	AA	UR	FA&CAO/CON/MHX
3	Kumar Priyadarshi	AA	UR	FA&CAO/CON/MHX
4	Rajeev Ranjan Sinha	AA	UR	Sr. AFA/XP/HJP

नोट:- IREM Vol I के पैरा 224 के अनुसार उपरोक्त कर्मचारी (भाग "ब" में वर्णित) पदोन्नति का आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक पदोन्नति हेतु वंचित माने जाएंगे।

[प्राधिकार: मिसिल संख्या: ECR/Fin/Admn/Promotion/SSO/Pt-V के दि/19 एवं मिसिल संख्या ECR/Fin/Admn/Transfer & Posting/ Placement Committe/ 01 के दि/47 पर]

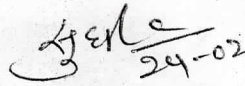
(सुधीर कुमार दत्त)
सचिव/प्रशा०

दिनांक: 24.02.2020

संख्या:- पूमरे/वित्त/प्रशा./पदोन्नति/SSO/Pt-V

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/प्रविस: प्रविस महोदय के सूचनार्थ।
2. विसमुलेधि(निर्माण)/महेन्द्रघाट/पटना।
3. विसमुलेधि(यातायात एवं सामान्य)/हाजीपुर।
4. उप विसमुलेधि(वित्त एवं बजट)/हाजीपुर।
5. वसविप्र/दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. उप विसमुलेधि (यातायात)/हाजीपुर।
7. वसविस(सा.)/हाजीपुर।
8. वसविस(का.एवं भ.)/समन्वय/हाजीपुर।
9. वसविस/सविस, स्थापना(अराज०), प्रशा०, खाता, बजट एवं पीएफ, पेंशन, एनपीएस, व्यय।
10. वसविस/कारखाना/समस्तीपुर।
11. वसविस/पीडी/मुगलसराय।
12. सचिव/ईसीआरकेयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन।
13. संबंधित कर्मचारी।
14. कार्यालय आदेश पंजिका।
15. सूचना पटल।


कृते प्रधान वित्त सलाहकार

